



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22042022-235294
CG-DL-E-22042022-235294

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1822]
No. 1822]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 22, 2022/ वैशाख 2, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 22, 2022/VAISAKHA 2, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2022

का.आ. 1913(अ).—यतः, मै. स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड ने तमिलनाडु राज्य में स्टेट इण्डस्ट्रियल प्रमोशन कॉर्पोरेशन, श्रीपेरुम्बदूर तालूक, कांचीपुरम जिले में व्यापार एवं सम्भार तंत्र संबंधी प्रचालनों सहित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और संबंधित सहायक सेवाओं के लिए एक विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के राजपत्रों सं. का.आ. 1784(अ) दिनांक 18 अक्टूबर, 2007 तथा का.आ. 6065(अ) दिनांक 03 दिसम्बर, 2018, का.आ. 1879(अ) दिनांक 09 सितंबर, 2020 के तहत उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में क्रमशः 140.755 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित एवं 7.111 हेक्टेयर एवं 12.14 हेक्टेयर के क्षेत्रों को अनधिसूचित किया था;

और यतः, मै. स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन से 1.716 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, तमिलनाडु सरकार ने उनके पत्र सं. 10907/एमआईई.2/2021-1 दिनांक 03 दिसंबर, 2021 के तहत प्रस्ताव को सहमति दे दी है;

और यतः, विकास आयुक्त, मेप्पल विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 1.716 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है। इसके अलावा, डेवलपेर ने पहले ही एसईजेड क्षेत्र में 1.716 हेक्टेयर (4.24 एकड़) के प्रस्तावित खाली भूमि को यूनिट अर्थात् मेसर्स बीवाईडी इंडिया प्रा. लि. को आवंटित कर दिया है, जो पहले से ही अनधिसूचित क्षेत्र में एक डीटीए इकाई के रूप में कार्य कर रही है;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा तमिलनाडु राज्य में स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लि., इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर, पेरुनदुरई ग्राम, इरोड जिले में विशेष आर्थिक जोन में से 1.716 हेक्टेयर क्षेत्र को अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्रफल 119.788 हेक्टेयर हो जाएगा। अनधिसूचित क्षेत्र के लिए निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित एसएफ संख्यायें और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात्:-

अनधिसूचित क्षेत्र हेतु तालिका

क्रम सं.	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	पनरुति ए	20 भाग	0.522
2		21 भाग	0.797
3	पनरुति बी	429 भाग	0.397
कुल			1.716
उपयुक्त घटाव के पश्चात् एसईजेड का कुल क्षेत्रफल			119.788

[फा. सं. एफ. 2/717/2006-एसईजेड]

विपुल बंसल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(SEZ DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st April, 2022

S.O. 1913(E).— Whereas, M/s. State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited has proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a Special Economic Zone for electronic hardware and related support services including trading and logistics operations at State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Industrial Growth Centre, Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram District, in the State of Tamil Nadu;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified an area of 140.755 hectares and subsequently, de-notified two areas of 7.111 hectares and 12.14 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notifications Number S.O. 1784(E) dated 18th October, 2007 and S.O. 6065(E) dated 03rd December, 2018 and S.O. 1879(E) dated 10th September, 2020 respectively;

AND, WHEREAS, M/s. State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited has now proposed for de-notification of 1.716 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Tamil Nadu has given its approval to the proposal vide letter No. 10907/MIE.2/2021-1 dated 03rd December, 2021;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, MEPZ Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 1.716 hectares of the Special Economic Zone. Further, the Developer has already allotted the vacant land proposed to be de-notified ad-measuring 1.716 hectares (4.24 acres) in the SEZ area to the Unit namely M/s. BYD India Pvt. Ltd., which is functioning as a DTA Unit in the already de-notified area;

NOW, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby de-notifies an area of 1.716 hectares, thereby making resultant area of the Special Economic Zone as 119.788 hectares. The SF numbers and the area for the de-notification are given below in the table, namely: -

TABLE FOR DE-NOTIFICATION AREA

Sl. No.	Name of Village	SF No.	Total area in Hectares
1	Panruti A	20 pt	0.522
2		21 pt	0.797
3	Panruti B	429 pt	0.397
Total			1.716
Grand Total Area of SEZ after above deletion			119.788

[F. No. F. 2/717/2006-SEZ]

VIPUL BANSAL, Jt. Secy.